संख्या– 446 / 64–1–2000

प्रेषक,

श्री हीरामणि सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक : 25 अप्रैल, 2000

विषय– राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गो के संबंध में जारी की गई अधिसूचना के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 1708 / 64–1–98, दिनांक– 5 नवम्बर, 1998 द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग की अनुसूची–एक में 70 जातियों / उपजातियों को शामिल करने की सूचना की गई थी। वर्तमान में अन्य पिछड़े वर्ग की अनुसूची–एक में 8 नई जातियों शामिल की गयी है।

तदनुसार संशोधित सूची का उल्लेख संकलित रूप से अधोलिखित तालिका में किया जा रहा है:–

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 की अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट 55 प्रविष्टियों में पिछड़ी जातियों / वर्गो को अधिसूचना संख्या 488 / सत्रह–वि–1 (क) 6–1994, दिनांक 23 मार्च, 1994 द्वारा प्रसारित किया जा चुका है, वो निम्नलिखित है:–

अनुसूची–एक

1– अहीर
2– अरख
3– काछी
4– कहार
5– केवट या मल्लाह
6– किसान
7– कोइरी
8– कुम्हार
9– कुर्मी
10– कम्बोज
11– कसगर
12– कुंजड़ा या राईन
13– गोसाई
14– गूजर
15– गड़ेरिया
16– गद्दी
17– गिरि
18– चिकवा (कस्साव)
19– छीपी
20– जोगी
21– झोजा
22– डफाली
23– तमोली
24– तेली
25– दर्जी
26– धीवर
27– नककाल
28– नट (जो अनुसूचित जातियो की श्रेणी में सम्मिलित न हों)
29– नायक
30– फकीर
31– बंजारा
32– बढ़ई

33– बारी
34– बैरागी
35– बिन्द
36– बियार
37– भर
38– भुर्जी या भड़भूजा
39– भठियारा
40– माली, सैनी
41– मनिहार
42– मुराव या मुराई
43– मोमिन (अंसार)
44– मिरासी
45– मुस्लिम कायस्थ
46– नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी
47– मारछा
48– रंगरेज
49– लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी राजपूत
50– लोहार
51– लोनिया
52– सोनार
53– स्वीपर (जो अनूसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)
54– हलवाई
55– हज्जाम (नाई)

2– उक्त के पश्चात् कार्मिक विभाग की अधिसूचना दि0 06 सितंबर 1995 द्वारा 37 उपजातियों को अतिरिक्त रूप से अनुसूची–एक में शामिल किया गया हैं जो निम्नांकित है:–

अधिसूचना संख्या व दिनांक	प्रविष्टि संख्या	मूल जातियाँ स्तम्भ–1	जोड़ी गई अन्य जातियां स्तम्भ–2
संख्या–वी– 456/का–2 1995, दिनांक 6.9.1995	2	अरख	अरख, अर्कवंशीय
	3	काछी	काछी, काछी–कुशवाहा शाक्य
	5	केवट या मल्लाह	केवट या मल्लाह निषाद
	8	कुम्हार	कुम्हार, प्रजापति
	9	कुर्मी	कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार कुर्मी–मल्ल, कुर्मी–सैंथवार
	16	गद्दी	गद्दी, घोषी
	18	चिकवा (कस्साव)	चिकवा, कस्साव, कुरैशी, चक
	19	छीपी	छीपी, छीपा
	23	तमोली	तमोली, बरई, चौरसिया
	24	तेली	तेली, सामानी, रोगनगर
	25	दर्जी	दर्जी, इदरीसी
	38	भुर्जी या भड़भूजा	भुर्जी या भड़भूजा, भूज, कांदू
	41	भूमिहार	मनिहार, कचेर, लखेरा
	42	मुराव/मुराई	मुराव या मुराई, मौर्य
	46	नद्दाफ (धुनिया) मन्सूरी	नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डेरे, कड़ेरे
	48	रंगरेज	रंगरेज, रंगवा
	51	लोनिया	लोनिया, नोनिया, गोले ठाकुर, लोनिया–चौहान
	52	सोनार	सोनार, सुनार, स्वर्णकार
	53	स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)	स्वीपर(जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो) हलालखोर
	54	हलवाई	हलवाई, मोदनवाल
	54	हज्जाम (नाई)	हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास

3– पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा कतिपय अनुवर्ती अधिसूचनायें समय–समय पर जारी की गयी है। जिनके माध्यम से प्रविष्टि संख्या–55 के पश्चात् नई प्रविष्टियां जोड़ी गयी हैं इनकी वर्तमान में कुल संख्या– 78 हो गयी हैं।

इन अधिसूचनाओं के माध्यम से कतिपय नई उपजातियों को भी सम्मिलित किया गया जिनका उल्लेख संकलित रूप से अधोलिखित तालिका में किया जा रहा हैः–

अधिसूचना संख्या व दिनांक	प्रविष्टि संख्या	मूल जातियों स्तम्भ–1	जोड़ी गई अन्य जातियां स्तम्भ–2
संख्या–11 एम.एम. / 64–1–96–100 / 95 दिनांक– 1.5.1997	56	राय सिक्ख	– – –
सं0–731 / 64–1–97– दिनांक– 6.8.1997	32	बढ़ई	बढ़ई, सैफी
	50	लोहार	लोहार, सैफी (अधि सं0–632 64–1–98–70 / 96, दिनांक 31–5–98 द्वारा शुद्धिकृत किया गया)
	57	सक्का–भिश्ती, भिश्ती–अब्बासी	– – –
सं0–1259 / 64–1–97–70 / 96 दिनांक– 15.9.1997	1	अहीर	अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशीय,
	4	कहार	कहार, कश्यप
	15	गडेरिया	गडेरिया, पाल और बघेल
	24	तेली, सामानी,रोगनगर	तेली, सामानी, रोगनगर, साहू
	25	दर्जी, इदरीसी	दर्जी, ददरीसी, काकुत्स्थ
	31	बंजारा	बंजारा, रंकी, मुकेरी और मुकेरान
	37	भर	भर, राजभर
	38	भुर्जी या भड़भूजा भूंज,काबू	भुर्जी या भड़भूजा, भूंज, कांदू कशौधन
	58	धोबी, (जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित नही हैं)	– –
	59	कसेरा, ठठेरा, ताम्रकार	–
	60	नानबाई	–
	61	मीरशिकार	–
	62	शेख सरवरी (पिराई) पीराही	अधि सं. 315 / 64–1–98 दि0 31.5.98 द्वारा शुद्धिकृत किया गया)
	63	मेव, मेवाती	–
	64	कोष्टा / कोष्टी	–
	65	रोड़	
	66	खुमरा, संगतराश, हंसीरी	– –
संख्या–961 / 64–1–98–70 / 97 दि0 15.7.1998	24	तेली, सामानी, रोगनगर, साहू	तेली, सामानी, रोगनगर, साहू, रौनियार, गंधी, अरीक
	67	मोची	–
	68	खागी	–
संख्या–1305 / 64–1–98–70 / 96 दि0 26.8.98	69	तंवर सिंघाड़िया	–
	70	कतुआ	
संख्या–152 / 64–1–98–51 / 98 दि0 24.9.98			

संख्या–882 / 64–1–99–33 / 97 दि0 28.5.1999	32	बढ़ई, सैफी	बढ़ई, सैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढ़िया, जांगिड़, धीमान सं0–1223 / 64–1–99–33 / 97 दि0 29.6.99 द्वारा शुद्धिकृत किया गया
	46	नदाफ (धुनिया) मन्सूरी, कंडेरे कन्डेरे	नददाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डेरे, कडेरे, करण (कर्ण)
	71	माहीगीर	–
	72	दांगी	–
	73	धाकड	–
संख्या–1253 / 64–99–135 / 95, दि0 8.7.1999	74	गाड़ा	–
	75	तंतवा	
	76	जोरिया	
	77	पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी	–
संख्या–334 / 64–1–2000–46 / 95, दि0 10.3.2000	78	जाट	–

4– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इनमें उल्लिखित जातियों के संबंध में कोई पात्र व्यक्ति द्वारा जाति प्रमाण पत्र मांगन पर आवश्यक छानबीन के पश्चात् पिछड़ी जाति से संबंधित जाति प्रमाण पत्र तत्काल जारी करने हेतु अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश देने का कष्ट करें। साथ ही साथ संबंधित अधिसूचनाओं की प्रतियां भी अधीनस्थ अधिकारियों व तहसील में उपलब्ध कराई जायं व इनका व्यापक प्रचार–प्रसार भी करा दिया जाय ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में कोई बाधा अथवा कठिनाई न हो।

भवदीय

हीरामणि सिंह यादव

विशेष सचिव

संख्या–446 (1)64–1–2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :–

1– सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से कि ये इसे अध्यक्ष, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उ0प्र0 लखनऊ के संज्ञान में लायें तथा अपने अभिलेखों में रखें।

2– निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ

3– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, लखनऊ।

4– निजी सचिव मा0 पिछड़ा वर्ग कल्याण / जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

हीरामणि सिंह यादव

विशेष सचिव।